

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर

:: कार्यालय आदेश ::

संस्कृति दी स्कूल

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था मान्यता एवं अनुदान नियम- 1993 एवं तत्पश्चात किये गये संशोधन के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये तथा निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर सत्र 2004-05 से उच्च प्राथमिक स्तर पर (द्वितीय / अग्रेजी माध्यम) को मान्यता प्रदान की जाती है ।

मान्यता नियमों की पालना न करने अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विपरीत स्थिति पाये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त की जा सकती है ।

01. संस्था को समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी । एवं विभाग द्वारा चाही गयी सूचना निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करनी होगी ।
02. प्रति वर्ष सक्षम अधिकारी से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेकर विभाग में प्रस्तुत करना होगा ।
03. संस्था द्वारा विभाग के निर्धारित कलेंडर अनुसार ही शैक्षिक सत्र का संचालन करना होगा एवं निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार ही शिक्षण कार्य सम्पादित करना अनिवार्य होगा ।
04. संस्था सत्रवार कक्षाओं की क्रमोन्नति करेगी । उ.प्रा.वि. स्तर पर शत प्रतिशत प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति करेगी ।

M. J. Singh
Principal
Sanskriti.....The School
Ajmer

sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर

क्रमांक - जिशिअ/प्राशि/मान्यता/2004/ 2268.72 दिनांक 9/7/04
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर मंडल, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम/ द्वितीय) अजमेर
4. संबंधित संस्था सचिव/ प्रबन्धक
5. प्रभारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ/ सार्विकी/ समान परीक्षा योजना कार्यालय हाजा
6. निर्देशन पत्रावली ।

M. J. Singh
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर